

3/यो0संक०-31/2022 ०४
बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या /2026-27)

प्रेषक,

योगेश कुमार सागर भा0प्र0से0,
अपर सचिव,

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 13-04-2026

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में समेकित बाल विकास छत्र योजना अन्तर्गत ऑगनबाडी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना के तहत राज्य स्कीम मद में कुल रू. 3584.94 लाख (रू. पैतीस करोड चौरासी लाख चौरानवे हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के ज्ञापांक 5724 दिनांक 27.11.2017 द्वारा राज्य में बच्चों, किशोरियों, महिलाओं में कुपोषणता को दूर करने हेतु विभिन्न अवयवों के लिए समेकित बाल विकास छत्र योजना कार्यान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में समेकित बाल विकास छत्र योजना अन्तर्गत ऑगनबाडी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना के संचालनार्थ राज्य स्कीम मद के सामान्य घटक में रू. 0.01 लाख तथा विशेष घटक में रू. 3584.93 लाख अर्थात् कुल रू. 3584.94 लाख (रू. पैतीस करोड चौरासी लाख चौरानवे हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है-

क्र०	योजना का नाम	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि (राशि लाख में)
1	ऑगनबाडी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना - सामान्य घटक	(51-2235021020117)	0117.34.01,	0.01
	ऑगनबाडी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना - विशेष घटक	(51-2235027890103)	0103.34.01	3584.93
कुल योग : (रू. पैतीस करोड चौरासी लाख चौरानवे हजार)				3584.94

2. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु आईसीडीएस निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर लेखा पदाधिकारी, आईसीडीएस निदेशालय, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी कर जीविका, बिहार, पटना के संबंधित बैंक खाता में नियमानुसार उपलब्ध करायेंगे।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध CFMS में प्राप्त राशि के आधार पर ही आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश से राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।


4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक - 12888/वि० दिनांक-03.12.2024, 236/वि० दिनांक 09.03.2026, 2956/वि० दिनांक 25.03.2026, 314/वि० दिनांक 01.04.2026 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0संक०-31/2022 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या 18/टि० पर दिनांक 08.04.2026 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0संक०-31/2022 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या 18/टि0 पर दिनांक- 10.04.2026 को सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।

7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन


(योगेश कुमार सागर)
अपर सचिव

ज्ञापांक- 3/यो0संक०-31/2022 - ०४

पटना, दिनांक- 13-04-2026


प्रतिलिपि - महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक आई.सी.डी.एस./सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


अपर सचिव

ज्ञापांक- 3/यो0संक०-31/2022 - ०४

पटना, दिनांक- 13-04-2026

प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/ सभी उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


अपर सचिव

ज्ञापांक- 3/यो0संक०-31/2022 ०४

पटना, दिनांक- 13-04-2026

प्रतिलिपि -विभागीय आई०टी० मैनेजर, को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।


अपर सचिव